उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
सं0 761 /2017/9(120)XXVII(8)/2017
देहरादून :: दिनांक:: 22 सितम्बर, 2017

अधिसूचना/संशोधन

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 164 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 में अग्रेत्तर संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (पाँचवा संशोधन) नियम, 2017

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (पाँचवा संशोधन) नियम, 2017 है।
(2) यथा उपबंधित के सिवाय, ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

नियम 3 में संशोधन

2. उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 3 के उपनियम (4) में, शब्द "साठ दिन" के स्थान पर शब्द "नब्बे दिन" रख दिए जाएंगे।

नियम 17 में संशोधन

3. उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 17 में, 22 जून, 2017 से, उप–नियम (2) में, शब्द "उक्त प्ररूप" के पश्चात् शब्दावली "या भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से सिफारिश प्राप्त होने के पश्चात्" अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

नियम 40 में संशोधन

4. उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 40 में, 1 जुलाई, 2017 से उप–नियम (1) में, स्तम्भ–1 में दिए गए खण्ड (ख) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जाएगा; अर्थात्:–

स्तम्भ–1 **वर्तमान खण्ड**	स्तम्भ–1 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड**
(ख) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उसके धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग करने हेतु पात्र होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, इलैक्ट्रानिक रूप से, **प्ररूप जी.एस.टी. आई.टी.सी. 01** में, समान पोर्टल पर, इस प्रभाव की घोषणा करेगा कि वह यथापूर्वोक्त इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग करने का पात्र है ;	(ख) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 18 की उप–धारा (1) के अधीन इनपुट कर प्रत्यय का लाभ लेने के लिए पात्र होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर, जो इस निमित्त अधिसूचना द्वारा आयुक्त द्वारा बढ़ाई जा सकेगी, इस आशय की प्ररूप जीएसटीआईटीसी–01 में सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से घोषणा करेगा कि वह पूर्वोक्त इनपुट कर प्रत्यय का लाभ लेने के लिए पात्र है: परन्तु केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय–सीमा का कोई विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा।

नियम 44क का प्रतिस्थापन

5. उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 44 के पश्चात्, निम्नलिखित नया नियम 44क अन्तःस्थापित किया जाएगा; अर्थातः–

44क. स्वर्ण डोरे बार की बाबत सीमा शुल्क के अतिरिक्त शुल्क के प्रत्यय को उलटने की रीति– अग्रनीत सेनवेट प्रत्यय से सम्बन्धित धारा 140 के उपबन्धों के निबंधनानुसार लिए गए इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते में केन्द्रीय कर का प्रत्यय, जो सीमा–शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप–धारा (1) के अधीन उद्ग्रहीत सीमा शुल्क के अतिरिक्त शुल्क के संदाय के कारण प्रोद्भूत हुआ था, जिसका संदाय 1 जुलाई, 2017 को धारित स्वर्ण डोरे बार के स्टॉक पर या ऐसे आयातित स्वर्ण डोरे बार से बनाए गए स्वर्ण या स्वर्ण आभूषण 1 जुलाई, 2017 को स्टॉक में थे, में अन्तर्विष्ट स्वर्ण डोरे बार के आयात के समय किया गया था, ऐसे प्रत्यय का एक बटा छह तक निर्बंधित किया जाएगा और ऐसे प्रत्यय का पांच बटा छह ऐसे स्वर्ण डोरे बार या स्वर्ण या उससे बनाए गए आभूषण के प्रदाय के समय इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते से विकलित किया जाएगा और जहां ऐसा प्रदाय पहले से ही किया गया है, वहां ऐसा विकलन इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से एक सप्ताह के भीतर होगा।

नियम 61 में संशोधन

6. उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 61 में, 1 जुलाई, 2017 से उप–नियम (5) में, शब्द "विहित कर सकता है" के स्थान पर शब्दावली "ऐसी रीति और शब्दों को विनिर्दिष्ट करता है जिनके अध्यधीन" रखे जाएंगे।

नियम 87 में संशोधन

7. उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 87 में–

(एक) उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा; अर्थात्:–

परन्तु सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी, पीएमटी–06 में सृजित किया गया चालान पंद्रह दिन की अवधि के लिए विधिमान्य होगा:

परन्तु यह और कि एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 14 में निर्दिष्ट अकराधेय ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता को भारत के बाहर स्थान से ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनः प्राप्य सेवा का प्रदाय करने वाला व्यक्ति बोर्ड की संदाय प्रणाली अर्थात् बोर्ड द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख से, उत्पाद शुल्क और सेवा कर में इलेक्ट्रॉनिक लेखांकन प्रणाली के माध्यम से भी ऐसा कर सकेगा।";

(दो) उपनियम (3) में, स्तम्भ–1 में दिए गए द्वितीय परन्तुक के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जाएगा; अर्थात्:–

स्तम्भ–1	**स्तम्भ–1**
वर्तमान परन्तुक	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परन्तुक**
परंतु यह और कि समान पोर्टल पर तैयार किए गए **प्ररूप जीएसटी पीएमटी-06 में** चालान पन्द्रह दिन की अवधि के लिए वैध होगा।	परन्तु यह और कि एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 14 में निर्दिष्ट अकराधेय ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता को भारत के बाहर स्थान से ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनः प्राप्य सेवा का प्रदाय करने वाला व्यक्ति बोर्ड द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख से विश्वव्यापी इंटर बैंक वित्तीय दूरसंचार संदाय नेटवर्क सोसाइटी के

	माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा अंतरण के माध्यम से उप–नियम (2) के अधीन भी निक्षेप कर सकेगा।

नियम 103 में संशोधन

8. उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 103 के स्थान पर, 1 जुलाई, 2017 से स्तम्भ–1 में दिए गए नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया निम्नलिखित नियम रख दिया जाएगा; अर्थात्:–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–1
वर्तमान नियम	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
103. अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के सदस्यों की अर्हता और नियुक्ति केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के सदस्य के रूप में संयुक्त आयुक्त की पंक्ति के किसी अधिकारी को नियुक्ति करेगी ।	**103. अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के सदस्यों की अर्हता और नियुक्ति-** सरकार अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के सदस्य के रूप में संयुक्त आयुक्त से अन्यून पंक्ति के अधिकारियों की नियुक्ति करेगी।

प्ररूप जीएसटी आरईजी–01 में संशोधन

9. उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश' शीर्ष के अधीन "प्ररूप जीएसटीआरईजी–01 में, क्रम संख्या 15 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या अन्तःस्थापित किया जाएगा; अर्थात्:–

"16. प्रदायकर्ताओं के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाले सरकारी विभाग, बैंक खाते के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे।"

प्ररूप जीएसटी आरईजी–13 में संशोधन

10. दिनांक 22 जून, 2017 से "प्ररूप जीएसटीआरईजी–13" के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रख दिया जाएगा; अर्थात्:–

प्ररूप जीएसटी आरईजी–13

नियम 17 देखिए

संयुक्त राष्ट्र निकायों/दूतावासों/अन्य को विशिष्ट पहचान संख्या अनुदत्त करने के लिए आवेदन/प्ररूप

राज्य/संघ क्षेत्र– **जिला**

भाग क

(i)	इकाई का नाम	
(ii)	इकाई का स्थायी लेखा संख्या (अधिनियम की धारा 25 की उप धारा (9) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट इकाईयों को लागू नहीं होता है)	
(iii)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम	
(iv)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का स्थायी लेखा संख्या (अधिनियम की धारा 25 की उप धारा (9) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट इकाईयों को लागू नहीं होता है)	
(v)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का ई–मेल पता	
(vi)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का मोबाइल नंबर (+91)	

भाग ख

1.	इकाई का किस्म (कोई एक चुने)		संयुक्त राष्ट्र ○ दूतावास ○ अन्य व्यक्ति ○	
2.	देश			
2क.	विदेश मंत्रालय, भारत सरकार की सिफारिश (यदि लागू हो)		पत्र संख्या	तारीख
3.	अधिसूचना के ब्यौरे		अधिसूचना संख्या	तारीख
4.	राज्य में इकाई का पता			
	भवन संख्या/फ्लैट नंबर		मंजिल संख्या	
	परिसर/भवन का नाम		सड़क/गली	
	शहर/कस्बा/गांव		जिला	
	ब्लॉक/तालुका			
	अक्षांश		देशांतर	
	राज्य		पिन कोड	
	संपर्क के लिए जानकारी			
	ईमेल पता		टेलीफोन नंबर	
	फैक्स नंबर		मोबाइल नंबर	
7.	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के ब्यौरे, यदि लागू हों			
	विशिष्टियां	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम
	नम			
	फोटो			
	पिता का नाम			
	जन्म तारीख	दिन/मास/वर्ष	लिंग	पुरुष,महिला,अन्य
	मोबाइल नंबर		ईमेल पता	
	टेलीफोन नंबर			
	पदनाम/प्रास्थिति		निदेशक पहचान संख्या (यदि कोई हो)	
	स्थायी लेखा संख्या अधिनियम की धारा 25 की उप धारा (9) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट इकाईयों को लागू नहीं होता है)		आधार संख्या अधिनियम की धारा 25 की उप धारा (9) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट	

			इकाईयों को लागू नहीं होता है)	
	क्या आप भारत के नागरिक हैं	हाँ/नहीं	पासपोर्ट सं0 (यदि विदेशी हों)	
	घर का पता			
	भवन संख्या/फ्लैट नंबर		मंजिल संख्या	
	परिसर /भवन का नाम		सडक/गली	
	नगर/शहर/गांव		जिला	
	ब्लॉक/तालुका			
	राज्य		पिन कोड	
8	बैंक खाते ब्यौरे (यदि आवश्यक हो तो जोडें)			
	खाता संख्या		खाते का प्रकार	
	आईएफएससी		बैंक का नाम	
	शाखा का पता			

9.	अपलोड किए गए दस्तावेज प्राधिकृत व्यक्ति, जिसके कब्जे में दस्तावेजी साक्ष्य हैं, ऐसे दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति, जिसके अनतर्गत इकाई का प्रतिनिधित्व करने के लिए आवेदक को प्राधिकृत करने के लिए संकल्प/मुख्तारनामा भी है, को अपलोड किया जाएगा। या समुचित अधिकारी, जिसने आवेदक से दस्तावेजी साक्ष्य एकत्रित किए हैं, ऐसे दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति, जिसके अनतर्गत संयुक्त राष्ट्र निकाय/दूतावास आदि का भारत में प्रतिनिधित्व करने के लिए आवेदक को प्राधिकृत करने के लिए संकल्प/मुख्तारनामा भी है, अपलोड किया जाएगा और इसे सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्र निकाय/दूतावास आदि को सृजित और आबंटित विशिष्ट पहचान संख्या के साथ लिंक किया जाएगा।
11.	सत्यापन मैं सत्यनिष्ठा से यह अभिपुष्टि करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है।

स्थानः
तारीखः

(हस्ताक्षर)

प्राधिकृत व्यक्ति का नामः

या

स्थान :
तारीखः

(हस्ताक्षर)
समुचित अधिकारी का नाम
पदनाम :
अधिकारिताः

सरकार द्वारा अधिसूचित संयुक्त राष्ट्र निकायों/दूतावासों/अन्य के आरईजी के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश।

- प्रत्येक व्यक्ति, जिससे विशिष्ट पहचान संख्या अभिप्राप्त करने की अपेक्षा है, इलेक्ट्रॉनिकी रूप से आवेदन प्रस्तुत करेगा।
- आवेदन सामान्य पोर्टल के माध्यम से फाइल किया जाएगा या समुचित अधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से आरईजी अनुदत्त किया जा सकता है।
- सामान्य पोर्टल पर फाइल किए गए आवेदन पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से या सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य माध्यम से हस्ताक्षर करना अपेक्षित है
- संबन्धित इकाई द्वारा प्रतिदाय आवेदन या अन्यथा पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के ब्यौरों को आवेदन में "प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के ब्यौरे" के सामने भरा जाना चाहिए।
- स्थायी लेखा संख्यांक/आधार अधिनियम की धारा 25 की उप–धारा (9) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट इकाईयों के लिए लागू नहीं होगा

(x) 1 जुलाई, 2017 से; प्ररूप जीएसटी–टीआरएएन–1 के क्र.सं. 7 में,–

(i) मद (क0 में, "और 140(6)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, 140(6) और 140(7) अंक, कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे।

(ii) मद ख में,–

(क) "धारा 140(5)" शब्दों, अंको और कोष्ठकों के पश्चात्, "और धारा 140(7)" शब्द, अंक और कोष्ठक अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) स्तम्भ शीर्ष 1 के स्थान पर, "प्रदायकर्ता या इनपुट सेवा वितरक का रजिस्ट्रीकरण संख्यांक" स्तम्भ शीर्ष रखे जाएंगे;

(ग) स्तम्भ 8 के शीर्ष में, "पात्र शुल्कों और करों" शब्दों के पश्चात् "(राज्य कर)" कोष्ठक और शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

सं0 761 /2017/9(120)/XXVII(8)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।

2–निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियॉ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100–100 प्रतियॉ वित्त अनुभाग–8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।

3–विधायी एवं संसदीय कार्य अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

4–अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।

5–एन0आई0सी0

6–गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनु सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 761 /2017/ 9(120)/XXVII(8)/2017, dated 22 September, 2017 for general information

Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No. 761 /2017/ 9(120)/XXVII(8)/2017
Dehradun :: Dated:: 22 September, 2017

In exercise of the powers conferred by section 164 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), the Governor is pleased to make the following rules to further amend the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

The Uttarakhand Goods and Services Tax (Fifth Amendment) Rules, 2017

Short title and commencement **1.** **(1)** These rules may be called the Uttarakhand Goods and Services Tax (Fifth Amendment) Rules, 2017.

(2) Save as otherwise provided, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Amendment in Rule 3 **2.** In sub-rule (4) of Rule 3 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017, for the words "sixty days", the words "ninety days" shall be substituted.

Amendment in Rule 17 **3.** In rule 17, with effect from the 22nd day of June, 2017, in sub-rule (2) of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017, after the words, "said form", the words "or after receiving a recommendation from the Ministry of External Affairs, Government of India" shall be inserted;

Amendment in Rule 40 **4.** In rule 40, with effect from the 1stday of July, 2017, in sub-rule (1) of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017, for the clause (b) given in column 1, the following clause given in column 2 shall be substituted; namely:-

Column 1	**Column 2**
Existing clause	**Hereby substituted clause**
(b) the registered person shall within a period of thirty days from the date of his becoming eligible to avail the input tax credit under sub-section (1) of section 18 shall make a declaration, electronically, on the common portal in FORM GST ITC-01 to the effect that he is eligible to avail the input tax credit as aforesaid;	(b) the registered person shall within a period of thirty days from the date of becoming eligible to avail the input tax credit under sub-section (1) of section 18, or within such further period as may be extended by the Commissioner by a notification in this behalf, shall make a declaration, electronically, on the common

	portal in FORM GST ITC-01 to the effect that he is eligible to avail the input tax credit as aforesaid: Provided that any extension of the time limit notified by the Commissioner of Central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner.

Insertion of new Rule 44A

5. **"44A. Manner of reversal of credit of Additional duty of Customs in respect of Gold dore bar-**

The credit of Central tax in the electronic credit ledger taken in terms of the provisions of section 140 relating to the Cenvat Credit carried forward which had accrued on account of payment of the additional duty of customs levied under sub-section (1) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), paid at the time of importation of gold dore bar, on the stock of gold dore bar held on the 1st day of July, 2017 or contained in gold or gold jewellery held in stock on the 1st day of July, 2017 made out of such imported gold dore bar, shall be restricted to one-sixth of such credit and five-sixth of such credit shall be debited from the electronic credit ledger at the time of supply of such gold dore bar or the gold or the gold jewellery made therefrom and where such supply has already been made, such debit shall be within one week from the date of commencement of these Rules.

Amendment in Rule 61

6. In rule 61, with effect from the 1st day of July, 2017, in sub-rule (5) of the Uttarakhand Goods and Services Tax (Fourth Amendment) Rules, 2017, for the words "specify that", the words "specify the manner and conditions subject to which the" shall be substituted;

Amendment in Rule 87

7. In rule 87 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017-

(1) after sub-rule (2), the following proviso shall be substituted; namely:-

Provided that the challan in FORM GST PMT-06 generated at the common portal shall be valid for a period of fifteen days.

Provided further that a person supplying online information and database access or retrieval services from a place outside India to a non-taxable online recipient referred to in section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) may also do so through the Board's payment system namely, Electronic Accounting System in Excise and Service Tax from the date to be notified by the Board.

(2) in sub-rule (3), for the second proviso given in column 1, the following proviso given in column 2, shall be substituted; namely:-

Column 1	Column 2
Existing clause	**Hereby substituted proviso**
Provided further that the challan in **FORM GST PMT-06** generated at the common portal shall be valid for a period of fifteen days.	Provided further that a person supplying online information and database access or retrieval services from a place outside India to a non-taxable online recipient referred to in section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) may also make the deposit under sub-rule (2) through international money transfer through Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication payment network, from the date to be notified by the Board.

Amendment in Rule 103

8. With effect from the 1st day of July, 2017, for Rule 103 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017 given in column 1, the following rule given in column 2, shall be substituted, namely:-

Column 1	Column 2
Existing Rule	**Hereby substituted Rule**
103. Qualification and appointment of members of the Authority for Advance Ruling- The Central Government and the State Government shall appoint officer in the rank of Joint Commissioner as member of the Authority for Advance Ruling.	**103. Qualification and appointment of members of the Authority for Advance Ruling-** The Government shall appoint officers not below the rank of Joint Commissioner as member of the Authority for Advance Ruling.

Amendment in FORM GST REG-01

9. In "FORM GST REG-01" under the heading 'Instructions for submission of Application for Registration', after serial no. 15, the following serial no. shall be inserted, namely:-

16. Government departments applying for registration as suppliers may not furnish Bank Account details.

Amendment in FORM GST REG-13

10. With effect from the 22nd day of June, 2017, for the "FORM GST REG-13", the following Form shall be substituted, namely:-

"Form GST REG-13

[See Rule 17]

Application/Form for grant of Unique Identity Number (UIN) to UN Bodies/ Embassies /others

State /UT – **District –**

PART A

(i)	Name of the Entity	
(ii)	Permanent Account Number (PAN) of entity (Not applicable for entities specified in clause (a) of sub-section (9) of section 25 of the Act)	

(iii)	Name of the Authorised Signatory	
(iv)	PAN of Authorised Signatory (Not applicable for entities specified in clause (a) of sub-section (9) of section 25 of the Act)	
(v)	Email Address of the Authorised Signatory	
(vi)	Mobile Number of the Authorised Signatory (+91)	

PART B

1.	Type of Entity (Choose one)	UN Body ○	Embassy ○	Other Person ○
2.	Country			
2A.	Ministry of External Affairs, Government of India' Recommendation (if applicable)		Letter No.	Date
3.	Notification details		Notification No.	Date
4.	Address of the entity in State			
	Building No./Flat No.		Floor No.	
	Name of the Premises/Building		Road/Street	
	City/Town/Village		District	
	Block/Taluka			
	Latitude		Longitude	
	State		PIN Code	
	Contact Information			
	Email Address		Telephone number	
	Fax Number		Mobile Number	

7.	Details of Authorized Signatory, if applicable			
	Particulars	First Name	Middle Name	Last name
	Name			
	Photo			
	Name of Father			
	Date of Birth	DD/MM/YYYY	Gender	<Male, Female, Other>
	Mobile Number		Email address	
	Telephone No.			

	Designation /Status		Director Identification Number (if any)	
	PAN (Not applicable for entities specified in clause (a) of sub-section (9) of section 25 of the Act)		Aadhaar Number (Not applicable for entities specified in clause (a) of sub-section (9) of section 25 of the Act)	
	Are you a citizen of India?	Yes / No	Passport No. (in case of foreigners)	
	Residential Address			
	Building No/Flat No		Floor No	
	Name of the Premises/Building		Road/Street	
	Town/City/Village		District	
	Block/Taluka			
	State		PIN Code	
8	Bank Account Details (add more if required)			
	Account Number		Type of Account	
	IFSC		Bank Name	
	Branch Address			
9.	Documents Uploaded *The authorized person who is in possession of the documentary evidence shall upload the scanned copy of such documents including the copy of resolution / power of attorney, authorizing the applicant to represent the entity.* Or *The proper officer who has collected the documentary evidence from the applicant shall upload the scanned copy of such documents including the copy of resolution / power of attorney, authorizing the applicant to represent the UN Body / Embassy etc. in India and link it along with the UIN generated and allotted to respective UN Body/ Embassy etc.*			
11.	Verification *I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.*			

Place: (Signature)

Date:

Name of Authorized Person:

Or

(Signature)

Place:
Date:

Name of Proper Officer:
Designation:
Jurisdiction:

Instructions for submission of application for registration of UN Bodies/ Embassies/others notified by the Government.

- Every person required to obtain a unique identity number shall submit the application electronically.
- Application shall be filed through Common Portal or registration can be granted suo-moto by proper officer.
- The application filed on the Common Portal is required to be signed electronically or through any other mode as specified by the Government.
- The details of the person authorized by the concerned entity to sign the refund application or otherwise, should be filled up against the "Authorised Signatory details" in the application.
- PAN / Aadhaar will not be applicable for entities specified in clause (a) of sub-section (9) of section 25 of the Act.

(x) With effect from the 1st day of July, 2017, in FORM GST TRAN-1 in Serial No. 7,-

(i) in item (a), for the word, figures and brackets "and 140 (6)", the figures, brackets and word ", 140 (6) and 140 (7) shall be substituted;

(ii) in item (b), -

(a) after the word, figures and brackets, "section 140 (5)", the words, figures and brackets "and section 140(7)" shall be inserted;

(b) for column heading 1, the column heading "registration number of the supplier or input service distributor" shall be substituted;

(c) in the heading of column 8, after the words "Eligible duties and taxes", the brackets and words "(State taxes)" shall be inserted.

(Radha Raturi)
Principal Secretary